

हरियाणा सरकार

ऑभिलेखागार विभाग

ऑभिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 1998

सं.स.क्र.47/सर्वि./अनु.309/98.-.-भारत के सीवियन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ऑभिलेखागार विभाग (गुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तिओं की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :-

भाग - 1 सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा ऑभिलेखागार विभाग (गुप ग) सेवानियम, ऑभिलेखागार विभाग, 1998, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

ऑभिलेखागार

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अंगीकृत न हों, -

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा;

(ख) "संघी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदान्तरित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक ऑभिलेखागार विभाग, हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है, -

(1) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था,

(11) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--

(1) भारत में विधि द्वारा निर्धारित कोई विश्वविद्यालय, अथवा

(11) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामरत्न रूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या टांका विश्वविद्यालय, अथवा

(111) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा अभिलेखागार विभाग (गुप ग) सेवा ।

भाग - 11 सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट-क में बनाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करने अथवा विभिन्न पदानामों और देतनमामों वाले नये पद, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के नगरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,--

- (क) भारत का नागरिक, या
- (ख) नेपाल की प्रजा, या
- (ग) भूटान की प्रजा, या
- (घ) निष्कत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(3) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगाण्डा तथा तंजानिया से संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टरिबिनीका और जंजीबार) ज्मिन्बिया, मलावी, जाम्बे और ड्यूबिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड०) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्राविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उसके भर्ती-भारति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आद्य । नहीं किया जायेगा जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के दिन सत्रह वर्ष से कम अथवा श्लैश वर्ष से अधिक का हो ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियों निदेशक द्वारा की जाएंगी ।

नियुक्त प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं योग्याए । किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्ध्या नियुक्ति की दशा में पूर्वकृत परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं और अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर 50

प्रतिशत सीमा तक हील ही जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित सिक्योरिटी को भरने के लिए अशिक्षित अनुभव रखने वाले उमीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए किश्चित रूप में कारण दिए जायेंगे ।

अधोलिखित ।

8. कोई भी व्यक्ति,--

- (क) विगत जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की सूचना कर ली है ; अथवा
- (ख) किसी पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सूचना कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को, इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का
धरा ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :

- (क) अभिलेखापाल की दशा में--
- (1) सहायक अभिलेखापाल में से पदोन्नति द्वारा, या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा, या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,
- (ख) सहायक अभिलेखापाल की दशा में,--

- (1) 25 प्रतिशत सहायकों, सहायक पुस्तकालयधर्मा, कनिष्ठ वेतनमान, आशुलिपिकों, अभिलेख रेजिस्ट्रारों, लिप्यन्तक

एवं टंककर्मी, आशुलिपिकों, शोध एवं संदर्भ सहायक तथा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा, तथा

- (II) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(ग) माइक्रोफोटोग्राफिस्ट की दशा में,--

- (1) सीधी भर्ती द्वारा, या
- (II) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) सहायक की दशा में,--

- (1) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, लिप्यन्तक एवं टंककर्मी, आशुलिपिक तथा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा, या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा, या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) सहायक पुस्तकालयधर्मा की दशा में,--

- (1) शोध तथा संदर्भ सहायक में से पदोन्नति द्वारा, या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा, या
- (III) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) अभिलेख रेजिस्ट्रार की दशा में,--

- (1) विवरदाताओं में से पदोन्नति द्वारा, या

- (11) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (12) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--

- (1) आशुटंकक तथा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (13) लिप्यन्तक एवं टंकक की दशा में,--

- (1) आशुटंकक एवं लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (14) चालक की दशा में,--

- (1) गुप्त व सेवा से गेट कीपर, सेनादार, ड्रिस्टिंग बीयरर, बैकगुप्त क्लीनिंग बीयरर, डार्कक्लम अटेंडन्ट, ड्रिस्टिंग बीयरर एवं भण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा भण्डर में से पदोन्नति द्वारा; या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (14) आशुटंककों की दशा में,--

- (1) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (II) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा;
- (15) लिपिकों की दशा में,--

- (1) 20 प्रतिशत गुप्त व सेवा में से शोध सन्दर्भ सहायक, अभिलेख परिचर, मैस्टेडन्तर ऑप्रेटर तथा जिल्दसार्जों तथा गुप्त व सेवा में से गेट कीपर, सेनादारों, ड्रिस्टिंग बीयरर, बैकगुप्त क्लीनिंग बीयरर, डार्कक्लम अटेंडन्ट, ड्रिस्टिंग बीयरर एवं भण्डरों, चौकीदार, मेहतर तथा भण्डर में से पदोन्नति द्वारा; तथा
- (II) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
- (III) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (16) शोध तथा सन्दर्भ सहायक की दशा में,--

- (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (II) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (17) अभिलेख परिचर की दशा में,--
- (1) गुप्त "घ" सेवा में से गेट-कीपर, सेनादारों, ड्रिस्टिंग बीयरर, बैकगुप्त क्लीनिंग बीयरर, डार्कक्लम अटेंडन्ट, ड्रिस्टिंग बीयरर एवं भण्डरों, चौकीदार, मेहतर तथा भण्डर में से पदोन्नति द्वारा; या

- (11) सीधी भर्ती द्वारा;
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (12) शिफ्टदार ऑपरेटर की दशा में :-

- (1) ग्रुप "घ" सेवा में से गेट वीपर, सेवादारों, डस्टिंग वीपर, वैक्यूम क्लीनिंग वीपर, डार्कलूम अटैडेंट, डस्टिंग वीपर-एवं भेण्डरों, चौकीदार, मेहतर तथा भेण्डर में से पदोन्नति द्वारा; या
- (11) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (12) जिलदारगों की दशा में :-

- (1) ग्रुप "घ" सेवा में से गेट वीपर, सेवादारों, डस्टिंग वीपर, वैक्यूम क्लीनिंग वीपर, डार्कलूम अटैडेंट, डस्टिंग वीपर एवं भेण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा भेण्डर में से, इन नियमों के परिशिष्ट "डू." में विनिर्दिष्ट निर्धारित विभागीय बर्हिडिंग टेस्ट पास करने पर पदोन्नति द्वारा; या
- (11) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियों, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) सेवा में सभी नियुक्तियों, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, पदोन्नति द्वारा की जाएगी, यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो, वह पद सीधी भर्ती द्वारा या स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा तथा ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी नीति निर्धारित करेगा जिसमें वह पद भरा जायेगा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी परीक्षा द्वारा नियुक्त किया गया हो, दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा :
परन्तु :-

- (क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् किसी अनुसूच्य अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी स्थिति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा-अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य अथवा आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह :-

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो :-

(1) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; अथवा

(11.) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य शीत से कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन और उन्हें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिशीक्षा-अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी:-

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य अथवा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो:-

(1) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी स्थिति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(II) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी स्थिति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी स्थिति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(III) यदि कोई स्थायी स्थिति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिशीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; अथवा

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो:-

(1) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाशर्तों से अलग कर सकता है, यदि अन्य नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य शीत में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन और शर्तों के अनुज्ञात करें, या

(II) उसकी परिशीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिशीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था।

परन्तु परिशीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर, उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, जहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निर्दिष्ट की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्दिष्ट योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त किए गए दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निर्दिष्ट की जाएगी:-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी जिनसे वे पदोन्नत अथवा स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहल की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि ऐसा सेवाकाल भी एक समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा सेवा करने का राज्य में अथवा उसके बाहर किसी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए वहिन्त। जाने पर, ऐसा करने के लिए योग्य होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, -

(1) कोई सम्पत्ती, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विपरीतवाचक, या

(11) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम अथवा व्यष्टि निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, या

(111) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (11) अथवा खण्ड (111) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन अथवा निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका ब्यवहार अन्य मामलों में किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए जा चुके हों, अथवा इसके बाद अपनाए जा चुके हों।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियां और अपील से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (टण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्त्रियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (टण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (i) के खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भी वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष अथवा साधारण टीका लक्षणा द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लक्षणायोग और पुनः टीका लक्षणायोग।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। शपथ।

17. जहां सरकार की यह राय में, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में टीका देने की आवश्यक अथवा समीचीन हो, वहां यह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, विशेष उपबन्ध। यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन और शर्तें लगाता उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस आशय में सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शांतिरक्षक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियासतों को प्रभावित नहीं करेगी।

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप भिन्न तथा कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, स्थापित। निरसित किया जाता है।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समाप्ती जाएगी।

परिशिष्ट क
(दखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अभिलेखपाल	--	3	3	1640--60--2300--दक्षतारोष 75--2900--विशेष वेतन 150
2.	सहायक अभिलेखपाल	--	8	8	1600--50--2300--दक्षतारोष 60--2660
3.	मार्कोग्रेटरोग्रिफिस्ट	--	1	1	1600--50--2300--दक्षतारोष 60--2660
4.	सहायक	--	3	3	1400--40--1600--50-- दक्षतारोष 2300--60--2600
5.	सहायक पुस्तकाग्रक्ष	--	1	1	1400--40--1600--50-- दक्षतारोष 2300--60--2600
6.	अभिलेख रेस्टोर	--	2	2	1200--30--1560--दक्षतारोष 40--2040
7.	कनिष्ठ वेतनमान शाशुलिक	--	1	1	1200--30--1560--दक्षतारोष 40--2040
8.	लिप्यन्त्रक एवं टंकक	--	1	1	1200--30--1560--दक्षतारोष 40--2040
9.	चालक	--	1	1	1200--30--1560--दक्षतारोष 40--2040 + 200 रुमाये विशेष वेतन

1	2	3	4	5	6
10.	आशुटंकक	--	1	1	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1500--विशेष वेतन 100 रुमाये
11.	लिपिक	--	6	6	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1500
12.	शोध एवं संदर्भ सहायक	--	1	1	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1500
13.	अभिलेख परिचर	--	1	1	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1500
14.	मैस्टेटरन ऑप्रेटर	--	1	1	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1500
15.	जिल्दवान	--	6	6	950--20--1150--दक्षतारोष 25--1400

परिशिष्ट-ख

(वेधिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीपी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों	सीपी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
-------------	-------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

1. अभिलेखपाल

(1) किसी मान्यता प्राप्त विभव-

विद्यालय से भारतीय इतिहास में 1600 ई. के परचात् की अवधि के ऐच्छिक विषय के साथ इतिहास में द्वितीय श्रेणी में निष्णात उपाधि;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विभव-विद्यालय से शिकस्ता स्नापि की पर्याप्त जानकारी के साथ पारसी में द्वितीय श्रेणी में निष्णात उपाधि तथा भारतीय इतिहास 1600 ई. के परचात् में स्नातक ;

(II) अभिलेख अभिरक्षण में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा);

(III) किसी अभिलेखागार में सहायक

अभिलेखापाल के पद या इसके समकक्ष का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

(IV) भेट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

पदोन्नति द्वारा :

सहायक अभिलेखपाल के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति

द्वारा :

(I) सहायक अभिलेखपाल के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(II) भेट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1 2 3 4

अधिमान :

(I) टाईपग्राफी और शूक श्रेष्ठ का ज्ञान ;

(II). अंग्रेजी तथा हिन्दी में भिन्न

किसी भारतीय अथवा विदेशी भाषा (भाषाओं) का ज्ञान ।

2. सहायक अभिलेखपाल

(1) किसी मान्यता प्राप्त विभव-

विद्यालय से भारतीय इतिहास के 1600 ई. के परचात् की अवधि के ऐच्छिक विषय के साथ इतिहास में द्वितीय श्रेणी में निष्णात उपाधि ;

पदोन्नति द्वारा :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विभव-

विद्यालय से 1600 ई. के परचात् की अवधि के भारतीय इतिहास के ऐच्छिक विषय के साथ इतिहास में एम. ए. अथवा इसके समकक्ष ज्ञानों हिन्दी ;

(भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1600 ई. के परचात् की अवधि के भारतीय इतिहास के ऐच्छिक विषय के साथ इतिहास में निष्णात उपाधि ;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विभव-विद्यालय से शिकस्ता स्नापि की पर्याप्त जानकारी के साथ पारसी में द्वितीय श्रेणी में निष्णात उपाधि तथा 1600 ई. के परचात् की अवधि के भारतीय इतिहास में स्नातक या इसके समकक्ष ।

(1) किसी मान्यता प्राप्त विभव-

विद्यालय से 1600 ई. के परचात् की अवधि के भारतीय

1 2 3 4

(सुतपूर्व सेलिकों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से 1600 ई. के पश्चात् के भारतीय इतिहास में स्नातक और प्रिकस्ता सिध की पर्याप्त जानकारी के साथ फारसी में निष्णात उपधि ;

(II) अभिलेख अभिरक्षण में उपधि-पत्र ;

(III) महापत्रक, सहायक-पुस्तकालय, कनिष्ठ-वेतनमान आशुतिक, सिन्धु-वेतनमान आशुतिक, अभिलेख एवं टंकक, अभिलेख रैस्टर, शोध एवं संदर्भ सहायक, आशुतिक एवं लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

(IV) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

व्यवधान :

(I) टर्जोग्राफी तथा मुद्र शोधन का ज्ञान ;

(II) अंग्रेजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा (भाषाओं का ज्ञान

3. **मार्डोपोटी-ग्रफिस्ट**

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ; (विज्ञान विषय के साथ प्राथमिकता)

(II) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से भट्टिक/हायर सकेण्टरी या (1012) व्यावसायिक या इसके समकक्ष (विज्ञान विषय के साथ प्राथमिकता) ;

1 2 3 4

(II) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(III) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संगठन से फोटी-फाकी में डिप्लोमा (मार्डोपोटी-फोटीग्राफी के विषय के साथ प्राथमिकता) ;

(IV) सामान्य फोटीग्राफी में कम से कम दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ;

(V) सामान्य फोटीग्राफी में पांच वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान ;

4. **सहायक**

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक या इसके समकक्ष ;

(II) लिपिहीन पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ;

(III) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

रखाना-रक्षक या प्रतिनिधुक्ति द्वारा :

(I) कनिष्ठ वेतनमान आशुतिक या सिन्धु-वेतनमान आशुतिक या आशुतिक या लिपिकों के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

(II) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

5. **सहायक पुस्तकालयक्ष**

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक ;

(II) पदोन्नति द्वारा :
उर्दू/शेरी विज्ञान में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र ;

1	2	3	4
---	---	---	---

(II) लाईवरी विज्ञान में प्रमाण-पत्र ; या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाईवरी विज्ञान में उपाधि/उपाधि-पत्र ;

(III) लाईवरी विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ;

(I) शोध एवं संदर्भ सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

स्थापान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(I) लाईवरी विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ;

(II) शोध एवं संदर्भ सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

(III) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(I) शोध एवं संदर्भ सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;

6. अभिलेख रेस्टोर

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से भट्टिक अथवा उसके समकक्ष ; (विज्ञान सहित अधिमान्य)

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से भट्टिक अथवा इसके समकक्ष ;

(II) जिलदसानी में दो वर्ष का प्रशिक्षण या अनुभव ;

(III) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(II) जिलदसानी के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

(III) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से भट्टिक अथवा इसके समकक्ष ;

(II) जिलदसानी के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;

(III) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(I) पदोन्नति द्वारा ;

(II) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(III) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(I) भट्टिक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी/10+2

7. कनिष्ठ श्रेणियों में आयुशिक्षक

(I) भट्टिक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी/10+2

(I) पदोन्नति द्वारा ;

(II) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(III) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

1	2	3	4
---	---	---	---

(I) (व्यावसायिक) द्वितीय श्रेणी/ (III) 100 शब्द प्रति मिनट की

स्नातक अथवा इसके समकक्ष (भूतपूर्व स्नानों के लिए केवल भट्टिक) ;

(II) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(III) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

(I) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(II) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

(III) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

(IV) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

(I) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(II) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(III) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(IV) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(I) पदोन्नति द्वारा ;

(II) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(III) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(IV) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(I) भट्टिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(II) पदोन्नति द्वारा ;

(III) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(IV) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

8. लिप्यन्तक एवं टंक

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से भट्टिक प्रथम श्रेणी/इन्टर अथवा हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/10+2

(I) पदोन्नति द्वारा ;

(II) भट्टिक या इसके समकक्ष ;

(III) आण्टिकरु या लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

1 2 3 4

(व्यवसायिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी/स्तानक ;

(II) भौतिक स्तर तक हिन्दी का गान ;

(11) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(III) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(IV) 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण ।

अपना पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन का टेस्ट पास करना होगा जिसमें असफल रहने पर उसे ऐसा टेस्ट पास करने तक वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं होगी । जब वह ऐसा टेस्ट पास कर लेता है तो ऐसा टेस्ट पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धि अनुज्ञात होगी किन्तु उसे बकाया नहीं दिया जायेगा ।

1 2 3 4

रथान्तरण या प्रतिनिधित्व द्वारा ;

(I) भौतिक या इसके समकक्ष ;

(II) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(III) आशुटंकक के रूप में या लिपिक के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

(IV) 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण तथा पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से

अपना पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन का टेस्ट पास करना होगा जिसमें असफल रहने की दशा में उसे ऐसा टेस्ट पास करने तक वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं होगी । जब वह ऐसा टेस्ट पास कर लेता है तो ऐसा टेस्ट पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धियां अनुज्ञात होगी किन्तु उसे बकाया नहीं दिया जायेगा ।

1 2 3 4

9. चालक

(1) हिन्दी के साथ मिडल पास ;

(1) भारी यातायात वाहन/हल्की यातायात वाहन के लिए मोटर, इन्जिन में वैद्य लाईसेंस रखता हो,

(v) भेट्टक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

पदेनर्ति द्वारा :

(1) भारी यातायात वाहन/हल्की यातायात वाहन के लिए मोटर, इन्जिन में वैद्य लाईसेंस रखता हो,

(ii) मोट क्रीपर, सेवादार, इस्टिंग बीयरर, डैक्यूम कलीनिंग बीयरर, डाईक लूम एटैपडैट इस्टिंग बीयरर एवं मेण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा मेण्डर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

(iii) अकुशल इन्जिन के लिए किसी दोष से सीधे दोष नहीं होना चाहिए ;

(iv) भारी यातायात वाहन चलाने का तीन वर्ष का अथवा हल्की यातायात वाहन चलाने का पांच वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, का अनुभव होना चाहिए (भूतपूर्व सैनिक की दशा में भारी यातायात वाहन/हल्का यातायात वाहन चलाने का दस वर्ष का अनुभव ।

(ii) मोट क्रीपर, सेवादार, इस्टिंग बीयरर, डैक्यूम कलीनिंग बीयरर, डाईक लूम एटैपडैट इस्टिंग बीयरर एवं मेण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा मेण्डर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

(iii) भारी यातायात वाहन/हल्का यातायात वाहन के लिए मोटर इन्जिन में वैद्य इन्जिन लाईसेंस रखता हो ;

(ii) मोट क्रीपर, सेवादार, इस्टिंग बीयरर, डैक्यूम कलीनिंग बीयरर एवं मेण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा मेण्डर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;

(iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1 2 3 4

10. आशुटंकक

(1) भेट्टक प्रथम श्रेणी अथवा इन्टर/हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी/स्नातक अथवा इसके समकक्ष ;

पदेनर्ति द्वारा :

(1) लिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;

(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iv) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iv) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(1) लिपिक के पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव ;

(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन ;

(iii) भेट्टक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(ii) लिपिक

(1) भेट्टक प्रथम श्रेणी/हायर सेकेण्डरी अथवा इन्टर

पदेनर्ति द्वारा :

(1) भेट्टक पास तथा शोध एवं शोध सहायक अभिलेख

1	2	3	4
---	---	---	---

द्वितीय श्रेणी, 10+2
(व्यवसायिक) द्वितीय श्रेणी
अथवा स्नातक (मूलपूर्व
सैविकों के लिए केवल
मैट्रिक) ;

परिचर, मेस्टेटर ऑफ़िसर,
जिल्लासाज, गेट वीपर, सेवादार
डिस्टिंग वीपर, डीकॉन्स
एडिडेंट, डिस्टिंग वीपर एवं
मण्डर चौकीदार, मेहतर,
मण्डर के रूप में पांच वर्ष
का अनुभव ;

(III) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान ;

(II) निदेशक द्वारा ली जाने वाली
हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं
में मैट्रिक स्तर की परीक्षा
पास करनी होगी ;

(III) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष (III) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष
के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी
में क्रमशः 25 और 30
शब्द प्रति मिनट की गति
से टाईप टेस्ट पास करना
होगा अथवा उसे कोई
केतन दृष्टि नहीं दी जाएगी ।

स्वनाम्तरण या प्रतिभ्युक्ति
द्वारा :

(1) मैट्रिक पास तथा शोध एवं
सन्दर्भ सहायक, अभिलेख
परिचर, मेस्टेटर ऑफ़िसर व
जिल्लासाज, गेट वीपर, सेवादार
डिस्टिंग वीपर, डीकॉन्स-
कौन्सिलर, वीपर, डीकॉन्स
एडिडेंट, डिस्टिंग वीपर एवं
मण्डर, चौकीदार, मेहतर एवं

1	2	3	4
---	---	---	---

मेहतर के रूप में कम से कम
पांच वर्ष का अनुभव, निदेशक
द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक
स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी
भाषा में परीक्षा पास करनी
होगी ;

(II) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान ;

(III) नियुक्ति की तिथि से एक
वर्ष के भीतर हिन्दी तथा
अंग्रेजी में क्रमशः 25 और
30 शब्द प्रति मिनट की गति
से टाईप टेस्ट पास करना
होगा अथवा उसे कोई केतन
दृष्टि नहीं दी जाएगी ।

(I) किसी मान्यता प्राप्त विषय-
विद्यालय से इतिहास एक
विषय सहित स्नातक ;
(II) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान ;
(III) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
पदान्ति द्वारा :

(1) मिडल पास ;
(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड
से मैट्रिक पास अथवा इसके
समकक्ष ;
(II) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान ।
(II) गेट वीपर, सेवादार, डिस्टिंग
वीपर, डीकॉन्स कौन्सिलर वीपर,
डीकॉन्स एडिडेंट, डिस्टिंग
वीपर एवं मण्डर, चौकीदार,
मेहतर एवं मण्डर के रूप में
तीन वर्ष का अनुभव ।

12. शोध एवं
सन्दर्भ सहायक

13. अभिलेख परिचर

1	2	3	4
---	---	---	---

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(I) मिडल पास ;

(II) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेडर, चौकीदार, मेहतर या मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(III) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

पदोन्नति द्वारा :

(I) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेडर, चौकीदार, स्वीपर या मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(I) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेण्डर, चौकीदार, स्वीपर या मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(II) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

14. गैस्टेनर ऑफ़िसर

(I) किसी मान्यता प्राप्त विषय-विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष ;

(II) गैस्टेनर मशीन चलाने का कार्यकारी ज्ञान ।

1	2	3	4
---	---	---	---

पदोन्नति द्वारा :

(I) मिडल पास ;

(II) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेण्डर, चौकीदार, स्वीपर या मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(III) जिल्लासाजी में तीन वर्ष का अनुभव ; (मूलपूर्व परीक्षाओं के लिए केवल जिल्लासाजी का तीन वर्ष का अनुभव) ।

(II) परीशेष्ट ड में विनिर्दिष्ट जिल्लासाजी में विनाशाय परीक्षा पास ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(I) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेण्डर, चौकीदार, स्वीपर और मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(II) इन नियमों के परीशेष्ट ड में यथा विनिर्दिष्ट जिल्लासाजी में विनाशाय टेस्ट पास करना ;

(III) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

15. जिल्लासाज

(I) मिडल पास ;

(II) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेण्डर, चौकीदार, स्वीपर या मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(III) जिल्लासाजी में तीन वर्ष का अनुभव ; (मूलपूर्व परीक्षाओं के लिए केवल जिल्लासाजी का तीन वर्ष का अनुभव) ।

(II) परीशेष्ट ड में विनिर्दिष्ट जिल्लासाजी में विनाशाय परीक्षा पास ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

(I) गेट क्रीपर, सेनादार, डिरिंटग बीयर, बैक्युम कलीनिंग बीयर, डार्कलूम एटैण्डेंट, डिरिंटग बीयर एवं मेण्डर, चौकीदार, स्वीपर और मेण्डर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(II) इन नियमों के परीशेष्ट ड में यथा विनिर्दिष्ट जिल्लासाजी में विनाशाय टेस्ट पास करना ;

(III) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट १

[अध्याय नियम 14 (1)]

क्रम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति या स्वल्प	शास्ति लगाने के लिए	अपील
संख्या		प्राधिकारी		सशक्त	प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	अभिलेखपाल		(1) छोटी शास्त्रियां	निदेशक	सरकार
2.	सहायक अभिलेखपाल		(1) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;		
3.	माइक्रोफोटोग्राफिस्ट		(ii) परिनिन्दा ;		
4.	सहायक		(iii) पदोन्नति रोकना ;		
5.	सहायक पुस्तकालयश्रा		(iv) आदेशों की उभेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय		
6.	अभिलेख रेस्टोर		सरकार या राज्य सरकार		
7.	कनिष्ठ वेतनमान		को या ऐसी कल्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय		
8.	आधुनिक	निदेशक	चाहे वह निर्गमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण		
9.	चासक		सरकार के पास है या		
10.	आधुनिक		सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी		
11.	लिपिक		स्थानीय प्राधिकरण या		
12.	शोध एवं संदर्भ		विश्वविद्यालय को हुई		
13.	सहायक				
14.	अभिलेख परिवार				
15.	गैस्टेटर आर्वाटर				
15.	जिल्लासाज				

परिशिष्ट १

[अध्याय नियम 14 (1)]

क्रम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति या स्वल्प	शास्ति लगाने के लिए	अपील
संख्या		प्राधिकारी		सशक्त	प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			(2) बड़ी शास्त्रियां		
			(vi) संघर्ष प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनीत ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनीत की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनीत उसकी भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने पर प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनीत जो सरकारी कर्मचारी के उस समय		

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- के वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर चहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा.
- (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति:
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट 4
1 शेष नियम 14 (2) 11

क्रम	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से.	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	अभिनेखापाल	1. पेंशन को निश्चित करने वाले नियमों के अधीन उसे धनुशेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना अथवा रोकना;	1. निदेशक	सरकार
2	सहायक अभिनेखापाल	2. उसकी अधिवर्तिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		
3	मार्डोफोटोग्राफिस्ट			
4	सहायक			
5	सहायक पुस्तकालयप्रभ			
6	अभिलेखा रेस्टोर			
7	कनिष्ठ वेतनमान आयुलिपिक			
8	लिप्यन्तक एवं टंकक			
9	चालक			
10	आयुटंकक			
11	लिपिक			
12	शोध एवं संदर्भ सहायक			
13	अभिलेख परिचर			
14	मैस्टेटर आर्षेटर			
15	जिल्दसाज			

[अधिसूचना नियम 9 (0)]

परिशेष 3

अभिलेखागार विभाग, हरियाणा के गुप व कर्मचारियों का विभागीय जिल्दसाजी टेस्ट के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम और अन्य शर्तें :-

- (1) जब कभी नार्थण्डर की शक्ति उत्पन्न होगी, अभिलेखागार विभाग के गुप "घ" कर्मचारियों का विभागीय टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे टेस्ट की तिथि तथा स्थान व समय निर्देशक, अभिलेखागार विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा योग्य गुप "घ" कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा।
- (2) उप-निर्देशक अभिलेख द्वारा उन पात्र गुप व कर्मचारियों के नाम निर्देशक, अभिलेखागार विभाग, हरियाणा, को अग्रिमिंत किए जायेंगे जो इस परीक्षा में बैठना चाहेंगे।
- (3) यह टेस्ट अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों की एक समिति द्वारा लिया जायेगा जिसका गठन निर्देशक, अभिलेखागार विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (4) टेस्ट के पश्चात् उत्तीर्ण हुए गुप व के कर्मचारियों के नामों की एक सूची गुप "घ" सेवा में वरिष्ठता के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (5) विभागीय टेस्ट के लिए निम्नलिखित से सम्बन्धित प्रश्नावली होगी :-

- (i) अभिलेखीय और वणिज्य जिल्दसाजी में ज्ञान और अन्तर के बीच से सम्बन्धित प्रश्न;
- (ii) फेक्टस का तैयार करना;
- (iii) जिल्दसाजी की क्रिसमें;
- (iv) सिलबई की क्रिसमें;
- (v) पुराने अभिलेखों को कैसे पृष्ठीकृत किया जाता है और यह क्यों आवश्यक है;
- (vi) कितने पृष्ठों को मिलाने पर एक जुन तैयार होता है;
- (vii) शेट-ईन पेपर का प्रयोग;
- (viii) शक्ति पेटियों का प्रयोग;

(ix) अभिलेखीय जिल्दसाजी के लिए प्रयुक्त करने का काल;

(x) जिल्दसाजी की परीक्षा कुल 100 अंकों में होगी। इन 100 अंकों में व्यवहारिक परीक्षा व मौखिक परीक्षा के क्रमशः 60 व 40 अंक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

एस.के. महेशवती,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ARCHIVES DEPARTMENT

Notification

The 29th January, 1998

No. G.S.R.47/Const./Art.309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Archives Department (Group C) Service, namely :--

PART-I-GENERAL

Short title
and Commence-
ment.

1.(1) These rules may be called the Haryana Archives Department (Group C) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana;—

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Archives Department, Haryana;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means,--

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised university" means,--

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th day of August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Archives Department (Group C) Service.

PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4.(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika

Number and
Character
of posts.

Nationality,
domile and
character of
candidates
appointed to
Service.

and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on or before the day next preceeding the last date of submission of application to the Commission.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the

Appointing
authority.

Qualifi-
cations.

discretion of the Commissioner any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes other backward classes, Ex-Servicemen and physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,--

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Disqualifi-
cations.

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

Method of
recruitment

(a) in the case of Archivist,--

(i) by promotion from amongst Assistant Archivists; or

(ii) by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Assistant Archivist,--

(i) 25% by promotion from amongst Assistants, Assistant Librarian, Junior Scale Stenographer, Archival Restorers, Transcriber-cum-typist, Steno-typist, Research and Reference Assistant, Clerks; and

- (b) 75% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (c) in the case of Microphotographist,--
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (d) in the case of Assistant,--
- (i) by promotion from amongst Junior Scale Steno-grapher, Transcriber-cum-typist, Steno-typist and Clerks; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (e) in the case of Assistant Librarian,--
- (i) by promotion from amongst Research and Reference Assistant; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (f) in the case of Archival Restorer,--
- (i) by promotion from amongst Binders; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (g) In the case of Junior Scale Stenographer,--
- (i) by promotion from Steno-typist and Clerk; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (h) in the case of Transcriber-cum-Typist,--
- (i) by promotion from Steno-typist and Clerks; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (i) in the case of Driver,--
- (i) by promotion from Group D service amongst Gate Keeper, Peons, Dusting Bearer Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper and Mendor; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (j) in the case of Steno-typist,--
- (i) by promotion from amongst Clerks; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(k) in the case of Clerk,--

(i) Twenty per cent by promotion from Group C service from amongst Research and Reference Assistant, Record Attendant, Gestetner Operator and Binders and from Group D service from amongst Gate Keeper, Peons, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper, Mender, whose scale of pay and responsibilities are less than that of Clerk ; and

(ii) eighty per cent by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(l) In the case of Research and Reference Assistant,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(m) In the case of Record Attendant,--

(i) by promotion from amongst Group D services amongst Gate Keeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper and Mender ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(n) In the case of Gestetner Operator,--

(i) by promotion from amongst Group D service amongst Gate Keeper, Peon,

Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper, and Mender ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(o) In the case of Binder,--

(i) by promotion from Group D Service amongst Gate Keeper, Peon, Dusting, Bearer, Vacuum Cleaning bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mendor, Chowkidar, Sweeper and Mender who qualifies the prescribed departmental test of binding as specified in the appendix 'E' to these rules ;

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) Unless otherwise provided, all appointments in the Service shall be made by promotion from within the Service. If a suitable person is not available for appointment by promotion, the post shall be filled in by direct recruitment or by transfer or deputation and in such a case the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and

one year, if appointed otherwise :

Provided that --

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment--

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer:

Seniority.

- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) In the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred;
- (d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
- 12(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to Serve.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--
- (1) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;
- (II) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (III) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (II) or (III) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these Rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

14.(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time; Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rule made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person. Power of relaxation.

Special
provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms, and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes other backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and
savings.

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A
(See rule 3)

Serial Number	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Archivist	--	3	3	Rs. 1640-60-2300-EB- 75-2900+150/- Special Pay.
2	Assistant Archivist	--	8	8	1600-50-2300-EB- 60-2660
3	Microphotographer	--	1	1	1600-50-2300-EB- 60-2660
4	Assistant	--	3	3	1400-40-1600-50- 2300-EB-60-2600
5	Assistant Librarian	--	1	1	1400-40-1600-50- 2300-EB-60-2600
6	Archival Restorer	--	2	2	1200-30-1560-EB- 40-2040
7	Junior Scale Stenographer	--	1	1	1200-30-1560-EB- 40-2040
8	Transcriber-cum- typist	--	1	1	1200-30-1560-EB- 40-2040
9	Driver	--	1	1	1200-30-1560-EB- 40-2040+Rs. 200/- Special Pay
10	Steno-typist	--	1	1	950-20-1150-EB- 25-1500 + Rs. 100 Special Pay
11	Clerk	--	6	6	950-20-1150-EB- 25-1500
12	Research and Reference Assistant	--	1	1	950-20-1150-EB-25- 1500
13	Record Attendant	--	1	1	950-20-1150-EB-25- 1500

APPENDIX A
(See rule 3)

Serial Number	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
14	Gesteiner Operator	--	1	1	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
15	Binder	--	6	6	950-20-1050-EB-25-1400

APPENDIX B
(See rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

1. Archivist

(i) 2nd Class Master's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History from a recognised university;

OR

(ii) At least three years experience as Assistant Archivist.

* By transfer or deputation--

2nd Class Master's degree in Persian with adequate knowledge of Shikasta script and Indian History of post 1600 period in B.A. from a recognised university;

(ii) Knowledge of Hindi up to Metric standard

(iii) Diploma in Archives keeping;

(iii) At least three years experience of working as Assistant Archivist or equivalent in an Archives;

(iv) Knowledge of Hindi up to Metric standard: *Dr. Sankar* or 12/B.A./M.A with Preferential--

(i) Knowledge of typography and proof reading;

(ii) Knowledge of any Indian or foreign language(s) other than English and Hindi.

vide Insh. of G S No 62/50/2006 - 6 GSI dt 24.8.2009

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
---------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

2. Assistant Archivist

(1) 2nd Class Master's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History of a recognised university (For ex-servicemen only. Master's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History);

OR

(11) 2nd Class Master's degree in Persian with adequate knowledge of Shikasta script and Indian History of post 1600 period in B.A. from a recognised University;

(For ex-servicemen Master's degree in Persian with adequate knowledge of Shikasta script and Indian History of post 1600 period in B.A. from a recognised University);

(1) Master's degree or equivalent Honour's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History of recognised university;

(11) Diploma in Archives keeping;

(111) Five years experience as Assistant, Assistant Librarian, Junior Scale Stenographer, Archival Restorer, Transcriber-cum-Typist, Steno-typist, Research and Reference Assistant and Clerk.

By transfer or deputation—

(i) Master's degree or equivalent Honour's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History of recognised university;

(11) Diploma in Archives keeping;

(111) Five years experience as Assistant, Assistant Librarian, or Junior Scale Stenographer, Archival Restorer, Transcriber-cum-Typist, Steno-typist, Research and Reference Assistant and Clerk;

(111) Knowledge of Hindi up to Metric Standard.

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
---------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

3. Microphotographer

(i) Knowledge of typography and proof reading;

(iv) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

(11) Knowledge of any Indian or foreign language(s) besides English and Hindi.

(i) Graduate from a recognised University (Preferably with Science);

(11) Knowledge of Hindi up to Metric standard;

(111) Knowledge of Hindi up to Metric Standard;

(111) Diploma in Photography (preferably in micro-photography) from a recognised University or organisation;

(111) Diploma in photography (preferably in micro-photography) from a recognised university or organisation;

(iv) Two years practical experience in general photography.

(iv) Five years practical experience in general photography.

(11) Knowledge of Hindi up to Metric standard;

(111) Knowledge of Hindi up to Metric Standard;

(111) Diploma in photography (preferably in micro-photography) from a recognised university or organisation;

(iv) Five years practical experience in general photography.

4. Assistant

(1) Graduate of a recognised university in 2nd Division or equivalent; and

(11) Five years experience on a clerical post;

(111) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

Five years experience as Junior Scale Stenographer or Transcriber-cum-typist or Steno-typist or Clerk.

By transfer or deputation—

(i) Five years experience as Junior Scale Stenographer or Transcriber-cum-typist or Steno-typist or Clerk;

(11) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
---------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

5. Assistant Librarian

- (i) Graduate from a recognised university,
(ii) A certificate in Library Science;
OR
(iii) Degree or Diploma in Library Science from a recognised institute;
- (i) B.A. with certificate/
Diploma in Library Science;
(ii) Five years experience as Research and Reference Assistant.
- (iii) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

By transfer or deputation--

- (i) B.A. with certificate/
Diploma in Library Science;
(ii) Five years experience as Research and Reference Assistant;
(iii) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

6. Archival Restorer

- (i) Metric (preferably with Science) or its equivalent from a recognised University/Board;
(ii) Two years training or experience in Book Binding;
(iii) Knowledge of Hindi up to Metric standard.
- By promotion--**
(i) Metric or its equivalent from a recognised University/Board;
(ii) Two years experience as Binder.
By transfer or deputation--
(i) Metric or its equivalent from a recognised University/Board;

Serial Number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
---------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

7. Junior Scale Stenographer

- (i) Metric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/ Intermediate 2nd Division/ 10+2 (Vocational) 2nd Division/Graduate or its equivalent
(For ex-servicemen Metric only);
(ii) Knowledge of Hindi up to Metric standard;
- (iii) Knowledge of Hindi up to Metric standard.
(iv) Hindi shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute.

By promotion--

- (i) Metric or its equivalent;
(ii) Three years experience as Steno-typist or Clerk;
(iii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute;

- (iv) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute.
By transfer or deputation--
(i) Metric or its equivalent;
(ii) Three years experience as Steno-typist or Clerk;
(iii) English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute;

- (iv) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;
(v) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

8. Transcriber-cum-Typist

- (i) Matric Ist Division or Inter/Higher Secondary 2nd Division/10+2 (Vocational) 2nd Division/Graduate from a recognised University/Board;
- (ii) Knowledge of Hindi up to Metric standard;
- (iii) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;
- (iv) English typing at a speed of 30 words per minute. He will have to pass English shorthand test at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute within one year of his joining the service to the post failing which he will not be allowed annual increment till the passing of such test. When he will qualify such test he will be allowed increment(s) due to him from the date of qualifying such test but no arrears will be given to him.

By promotion :-

(i) Matric or its equivalent;

(ii) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;

By transfer or deputation

(i) Matric or its equivalent;

(ii) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

9. Driver

- (i) Middle with Hindi;
- (ii) Valid Driving Licence for heavy traffic vehicles/Light traffic vehicles;
- (iii) Should not have been convicted of any offence for inefficient driving;
- (iv) Should have experience of 3 years driving of heavy traffic vehicles or 5 years driving of Light traffic vehicles, as the case may be.
- (v) Knowledge of Hindi up to Metric standard.
- By promotion :-
- (i) Possess valid driving Licence in Motor driving for heavy traffic/Light traffic vehicles.
- (ii) At least 3 years experience as Gate-Keeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender.
- (iii) At least three years experience as Steno-Typist or as Clerk;
- (iv) English typing at a speed of 30 words per minute. He will have to pass English shorthand test at a speed of 100 words per minute and transcription thereof at a speed of 20 words per minute within one year of his joining the service to the post failing which he will not be allowed annual increment till the passing of such test. When he will qualify such test he will be allowed increment(s) due to him from the date of qualifying such test, but no arrears will be given to him.

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1			
2		may be (10 years experience of Driving Heavy traffic vehicles/Light traffic vehicles in the case of ex-servicemen)	
3			
4			

10. Steno-Typist

- (1) Metric Ist Division/Inter or Higher Secondary 2nd Division/10+2 (vocational) 2nd Division/Graduate or its equivalent (For ex-servicemen: Metric only);
- (ii) Knowledge of Hindi upto Metric standard;
- (iii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;
- (iv) Hindi shorthand at a speed of 60 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute
- (1) Metric Ist Division/Higher Secondary or Inter 2nd Division/ 10+2 (vocational)
- By transfer or deputation:
- (i) One year's experience as Clerk;
- (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;
- (iii) Hindi shorthand at a speed of 60 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute.
- By promotion:
- (i) One year's experience as Clerk;
- (ii) English shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute;
- (iii) Hindi shorthand at a speed of 60 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute.

11. Clerk

- (1) Metric Ist Division/Higher Secondary or Inter 2nd Division/ 10+2 (vocational)

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1			
2		2nd Division or Graduate (For ex-servicemen Metric only);	
3		(ii) Knowledge of Hindi upto Metric standard;	
4			

- (iii) Shall be required to qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute respectively, within a period of one year of appointment otherwise he will not be given any increment.
- (iv) Knowledge of Hindi upto Metric standard.
- By promotion:
- (i) Metric with 5 years experience as Research and Reference Assistant/Record Attendant, Gatekeeper, Binder, Gate-keeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper, Mender.
- (ii) Shall have to pass a test in Hindi and English languages of the Metric standard to be conducted by the Director;
- (iii) Shall be required to qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute respectively within a period of one year of appointment otherwise he will not be given any increment.
- By transfer or deputation:
- (i) Metric with 5 years experience as Research and Reference Assistant,

- (ii) Knowledge of Hindi upto Metric standard;
- (iii) Hindi shorthand at a speed of 60 words per minute and transcription thereof at a speed of 11 words per minute;

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

1 2 3 4

Record Attendant, Gestetner Operator, Binder, Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper, Mender;

(11) Knowledge of Hindi upto Metric standard;

(111) Shall be required to qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute, respectively within a period of one year of appointment otherwise he will not be given any increment.

12. Research and Reference Assistant

(1) Graduate from a recognised University with History as one of the subjects;

(11) Knowledge of Hindi upto Metric standard.

(1) Graduate from a recognised University with History as one of the subjects;

(11) Knowledge of Hindi upto Metric standard.

13. Record Attendant

(1) Matriculate of a recognised Board or its equivalent;

(11) Knowledge of Hindi up to Metric standard.

By Promotion :

(1) Middle class pass;

(11) Three years experience as Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender.

By transfer or deputation :

(1) Middle class pass.

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

1 2 3 4

(11) Three years experience as Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender;

(111) Knowledge of Hindi upto Metric standard.

14. Gestetner Operator

(1) Metric or equivalent from a recognised University or Board. Working knowledge of operating the Gestetner Machine.

By promotion :

Three years experience as Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender.

By transfer or deputation :

(1) Three years experience as Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender;

(11) Knowledge of Hindi upto Metric standard;

15. Binder

(1) Middle class pass

(11) Three years experience in binding
(For ex-servicemen : Three years experience of binding)

By promotion :

(1) Three years experience as Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper or Mender;

Serial Number Designation posts Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment

1 2 3 4

(ii) Qualifies the Departmental test in Binding as specified in the Appendix E to these Rules.

By transfer or deputation:

(i) Three years experience as Gate-keeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender; Chowkidar, Sweeper or Mender;

(iii) Qualifies the Departmental test in Binding as specified in the Appendix E to these Rules:

(iii) Knowledge of Hindi upto Middle standard.

APPENDIX C
[See rule 14(1)]

Sr. No. of posts	Designation	Appointing authority	Nature of Penalties	Authority empowered to impose penalties	Appellate authority
1	2	3	4	5	6

1. Archivist Director 1. Minor Penalties Director Government

2. Assistant Archivist Marking with a copy on the personal file (Character roll) ;

3. Microphotographer (ii) Censure ;

4. Assistant (iii) Withholding of promotion ;

5. Assistant Librarian (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and

6. Archival Restorer

7. Junior Scale Stenographer

8. Transcriber-cum-Typist

9. Driver

10. Steno-typist

11. Clerk

12. Reference and Research Assistant

13. Record Attendant

14. Gestesteer Operator

15. Binder

(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect ;

2. Major Penalties :

(vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect.

Serial Number	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4

(iii) Qualifies the Departmental test in Binding as specified in the Appendix E to these rules.

By transfer or deputation :-
(i) Three years experience as Gate-keeper, Peon, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Mender; Chokidar, Sweeper or Mender;

(ii) Qualifies the Departmental test in Binding as specified in the Appendix E to these rules;

(iii) Knowledge of Hindi upto Middle standard.

APPENDIX C
[See rule 14(1)]

Sr. No. of posts	Designation	Appointing authority	Nature of Penalties	Authority empowered to impose penalties	Appellate authority
1	2	3	4	5	6

1. Archivist Director 1. Minor Penalties Director Government

2. Assistant Archivist (ii) Warning with a copy on the personal file (Character roll) ;

3. Microphotographer (iii) Censure ;

4. Assistant Librarian (iii) Withholding of promotion ;

5. Archival Restorer (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and

6. Junior Scale Stenographer

7. Transcriber-cum-Typist

8. Driver

9. Steno-typist

10. Clerk

11. Reference and Research Assistant

12. Record Attendant

13. Gestetner Operator

14. Binder

(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect :-
2. Major Penalties :-
(vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect.

1 2 3 4 5 6

(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) Compulsory retirement ;
(x) removal from Service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(xi) dismissal from Service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	Archivist	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension	Director	Government
2	Assistant Archivist	admissible under the rules governing pension;		
3	Micro-photographist	(ii) terminating the appointment of member otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
4	Assistant			
5	Assistant Librarian			
6	Archivist			
7	Junior Scale Stenographer			
8	Transcriber-cum-Typist			
9	Driver			
10	Steno-Typist			
11	Clerk			
12	Research and Reference Assistant			
13	Record Attendant			
14	Gasfitter Operator			
15	Bandar			

APPENDIX E

[See Rule 9(10)]

Syllabus and other conditions for the departmental test of binding of group 'D' employees of Archives Department, Haryana :--

- (1) A departmental test for the group 'D' employees of the Archives Department will be held as and when the vacancies of binder occurs. The exact date and place of test will be determined and intimated to the eligible Group 'D' employees by the Director, Archives atleast fifteen days before holding the test.
- (2) The Deputy Director, Archives shall forward to the Director Archives, Haryana the name of the eligible group 'D' employees who intends to appear in the test.
- (3) The test will be conducted by the committee of officers of the Archives Department, Haryana which would be constituted by the Director, Archives.
- (4) After the test the list of the names of successful candidates will be prepared in order of their seniority in group 'D' services.
- (5) Questionnaire of the departmental test shall be as following:—
 - (i) Questions relating to knowledge and difference between Archival and Commercial binding ;
 - (ii) Preparation of pastes;
 - (iii) Types of binding;
 - (iv) Types of stitching;
 - (v) How the pagination of old records be done and why it is essential.
 - (vi) How many pages makes a jooz;
 - (vii) Use of get-in papers;
 - (viii) Use of guard strips;
 - (ix) Weight of the carboard used for Archival binding;

- (x) Total marks for binding test will be 100 out of these 100 marks practical test of binding and viva voce will comprise of 60 and 40 marks respectively. Minimum pass marks will be 40% of the total marks.

S. K. MEHESHWARI,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Archives Department.